भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2831

18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का आयात

2831. श्री बी. वाई:राघवेन्द्र .

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेम इंडिया योजना (चरणहन देने से म से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साके माध्य (। और ।।- पूर्ण खनिजों के आयात में वृद्धि हुई है जैसे महत्वलीथियम और कोबाल्ट, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इनके आयात संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) ईवी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को प्राप्त करने में देश को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) ईवी बैटरियों के लिए आवश्यक आयातित लीथिमय, कोबाल्ट और अन्य प्रमुख सामग्रियों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ;

(घ) क्या सरकार बढ़ते हुए ईवी बाजार के लिए लीथियम और कोबाल्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू अन्वेषण, भागीदारी अथवा पुनर्चक्रण पहलों जैसी किसी दीर्घकालिक कार्यनीति पर चर्चा कर रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) : देश ई-वाहनों के उत्पादन तथा संवर्धन के लिए कच्चे माल, खनिज प्रसंस्करण, बैटरी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के मामले में अन्य एशियाई देशों पर बहुत अधिक निर्भर है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए मूल कच्चा माल लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री होती है। वर्तमान में, भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के निर्माण और समग्र मूल्यवर्धन में निवेश नगण्य है और एसीसी की लगभग पूरी घरेलू मांग अभी भी आयात के माध्यम से पूरी की जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयातित एसीसी बैटरी पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने 12 मई, 2021 को

देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्षों की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी निर्माण व्यवस्था (50 गीगावॉट घंटा) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) : खान मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन (एनसीएमएम) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है जिसमें 16,300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित निवेश शामिल है। एनसीएमएम का लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त करना है जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर उसे लाभकारी बनाने, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से रिकवरी तक के सभी चरण शामिल हैं।

घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और ईवी बैटरियों के लिए आवश्यक आयातित लिथियम, कोबाल्ट और अन्य प्रमुख सामग्रियों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

खान और खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से 17.08.2023 से संशोधित किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. अनुसूची-I के भाग-घ में 24 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों की सूची।
ii. अनुसूची-I के भाग-ख में 12 परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिजों अर्थात लिथियम, टाइटेनियम, बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, नियोबियम, टैंटालम और जिरकोनियम युक्त खनिजों को हटा दिया गया है और उन्हें पूर्वोक्त 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया है।
iii. अधिनियम की धारा 11-घ, जो केंद्र सरकार को अनुसूची-I के भाग-घ में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देती है।
iv. अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल 29 खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस।

इसके अलावा, खान मंत्रालय को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 20-क के तहत 21 अक्टूबर 2024 के आदेश के माध्यम से अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2024 में 04 किस्तों में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर केंद्रित 368 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, 195 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 227 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

धातु और गैर-धातु अयस्कों के खनन और अन्वेषण के लिए "स्वचालित" मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। खनन और अन्वेषण अधिकार प्रदान के लिए पात्र बनने हेतु कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय सहायक कंपनी को शामिल कर सकती है या किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में निवेश कर सकती है।

महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, सरकार ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में 25 खनिजों पर सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया है और 2 खनिजों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम कर दिया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव किया है ताकि भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और भारत के युवाओं के लिए अधिक नौकरियों को बढ़ावा मिल सके।

खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य-श्रृंखला को सशक्त करने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्लेटफार्मों पर काम कर रहा है और कई उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण जैसे खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ), महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (आईसीईटी), ब्रिटेन-भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (टीएसआई) और अन्य शामिल हैं।

खान मंत्रालय ने खनिज संपदा के लिए खानजी बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के माध्यम से विदेशी खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की पहचान करना और उनका अधिग्रहण करना है, जो महत्वपूर्ण और सामरिक महत्व रखती हों और इसमें लिथियम, कोबाल्ट और अन्य खनिजों को विशेष रूप से लक्षित किया जाता है। काबिल ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में लगभग 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में पाँच लिथियम ब्राइन ब्लॉक की खोज और खनन के लिए एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****